Publication	**Dainik Jagran**	**Language**	Hindi
Edition	New Delhi	**Journalist**	Arvind Sharma
Date	24/06/2025	**Page no**	15
CCM	48.89		

'Sahakar Taxi' will provide cheap service to passengers and increase the income of drivers

सवारियों को सस्ती सेवा और चालकों की कमाई बढ़ाएगी 'सहकार टैक्सी'

अरविंद शर्मा ● जागरण

- पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसी वर्ष के अंत तक शुरू हो जाएगी सहकार टैक्सी सेवा
- अगले वर्ष तक सभी राज्यों की राजधानियों व प्रमुख शहरों में प्रारंभ करने का लक्ष्य

नई दिल्ली: टैक्सी चालक सहकार के आधार पर अपनी एप आधारित टैक्सी सेवा चला सकेंगे। इसमें उन्हें ओला-उबर की तरह किसी कंपनी को हिस्सा नहीं देना होगा। सवारियों को भी अपेक्षाकृत कम किराया देना होगा। गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अवधारणा के आधार पर सरकार ने 'टैक्सी सेवा प्रोजेक्ट' का मल्टीस्टेट कोआपरेटिव एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन करा दिया है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसी वर्ष के अंत तक दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और पुणे में यह सेवा प्रारंभ होगी। अगले वर्ष तक सभी बड़े राज्यों की राजधानियों व कुछ प्रमुख शहरों में इसे शुरू करने का लक्ष्य है। बाद में आटो रिक्शा व ई-रिक्शा चालकों को भी इसमें लाया जाएगा।

यूपीआइ, डेबिट कार्ड या नकदी माध्यम से भुगतान किया जा सकेगा। समिति के पास ड्राइवरों का प्रोफाइल होगा। सर्विस के आधार पर उन्हें रेटिंग दी जाएगी। टैक्सी में महिला सुरक्षा से जुड़े फीचर भी होंगे। सहकारी माडल पर आधारित यह टैक्सी सेवा पूरी तरह पारदर्शी होगी, जिसमें टैक्सी ड्राइवरों की हिस्सेदारी और भागीदारी कंपनी के मालिक की तरह होगी। अभी ओला-उबर से जुड़कर टैक्सी चलाने वालों को 25 से 30 प्रतिशत तक हिस्सा देना होता है। सहकारी व्यवस्था में वे खुद मालिक होंगे। मुनाफे पर तीन-चार प्रतिशत शुल्क लगेगा। वह भी समिति के खाते में जाएगा। बाद में इस राशि से टैक्सी चालकों को बीमा, सामाजिक सुरक्षा एवं पेंशन जैसी सुविधाएं मिलेंगी।

सहकारिता मंत्रालय करेगा पूरे प्रोजेक्ट की निगरानी : पूरे प्रोजेक्ट की निगरानी सहकारिता मंत्रालय करेगा। इस काम में अमूल, नेफेड, नाबार्ड, इफको, कृभको, एनसीडीसी जैसी प्रमुख सहकारी संस्थाओं को शामिल किया गया है। प्रारंभिक निवेश और पूंजी संबंधी समस्याओं के समाधान की जिम्मेवारी नेफेड को दी गई है। स्टार्टअप इंडिया एवं कामन सर्विस सेंटर (सीएससी) तकनीकी प्लेटफार्म तैयार करेंगे। एप बनाने का काम भी इन्हें ही दिया गया है।

शहर में टैक्सी चालकों की बनेगी सहकारी समिति

प्रोजेक्ट के तहत प्रत्येक शहर में टैक्सी चालकों की सहकारी समिति बनेगी। इसमें सिर्फ वही ड्राइवर शामिल होंगे, जो समिति के सदस्य होंगे। प्रारंभ में लगभग पांच सौ टैक्सी चालकों को चुना जाएगा। एक यूनिफाइड मोबाइल एप होगा, जिसे सदस्य चालकों द्वारा संचालित किया जाएगा। इसके जरिये टैक्सी बुक की जा सकेगी। एप का मालिकाना हक ड्राइवरों के पास रहेगा। किराया भी समिति ही तय करेगी। नियम भी बनाएगी। एप के फीचर चुनने का अधिकार चालकों के पास रहेगा, जो हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा में काम करेगा।

****

Downloaded from
SAMVAD